(16)

न्यायालय माननीय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

रानी-0227/2019/देवास/भू०रा०

पुनरीक्षण पत्र क्रमांक /2018=

विष्णु पिता मानसिंह कंजर
निवासी ग्राम चिड़ावद तेह. टोंकखुर्द
कृषि ग्राम बरखेड़ा अनुविभाग सोनकच्छ
जिला देवास म०प्र०

--- पुनरीक्षणकर्ता

श्री आर० के० त्यागी अभि० द्वारा आज दि० 2-2-19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 13-2-19 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-2-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

Noted 13/2/2019

विरुद्ध

1- श्रीराम पिता दर्याव खाती
निवासी ग्राम बरखेड़ा तहसील टोंकखुर्द जिलादेवास म०प्र०

2- प्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण खाती
निवासी ग्राम बरखेड़ा तेह टोंकखुर्द जिला देवासम०प्र०

3- मांगीलाल पिता राजाराम खाती
निवासीग्राम बरखेड़ा तेह. टोंकखुर्दजिला देवास म०प्र०

- गैर पुनरीक्षणकार

पुनरीक्षण पत्र धारा 50 म०प्र० भू०रा०संहिता के अधिन

(माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपील आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्र. 1291/अपील/2017-18 के अवैध आदेश दिनाक 12-12-2018 के विरुद्ध)

माननीय न्यायालय

यह कि पुनरीक्षणकर्ता की और से निम्नांकित पुनरीक्षण पत्र अवधि के भीतर सादर प्रस्तुत है:-

यह कि पुनरीक्षणकर्ता ने विचारण न्यायालय नायब

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

19

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-0227/2019/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01/08/2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थिचत नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 12.12.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	